

OFFICE OF THE DIRECTOR ELEMENTARY EDUCATION, HARYANA,
PANCHKULA

Order No. 32/25-2018 HRM-I (2)

Dated, Panchkula, the 02.04.2018

Permission is hereby granted to **Sh. Kishan Chand Sachdeva, Retd. SS Master, GSSS Kanwi (Mahendergarh)** to change the option for the medical reimbursement from **fix medical allowance to open medical allowance** facility for reimbursement of outdoor expenses of allopathic treatment of chronic disease(s) w.e.f. **04.01.2018** in terms of Haryana Government instructions issued from time to time on the following conditions:-

1. That he/she will not be entitled fix medical allowance w.e.f. **04.01.2018** and the fix medical allowance, if any, paid to him/her after the date of change of option will have to be deposited in Government Treasury.
2. That he/she will not be entitled fix medical allowance until he/she avails open medical allowance facility.
3. That the option has been changed since the **employee** is suffering from chronic disease. The certificate in this regard has been issued by **Civil Surgeon Narnaul** vide Memo No. **186** dated **04.01.2018**.
4. The Medical Certificate is to be reviewed/renewed after a period of two years or before date of its expiry whichever is earlier otherwise his/her medical option will be changed from open to fix automatically.
5. The reimbursement will be made only for chronic diseases declared by Haryana Govt. from time to time.


Rajnarayan Kaushik
Director Elementary Education,
Haryana, Panchkula

Endst. No. Even

Dated, Panchkula, the 08.04.2018

A copy is forwarded to the following for information and necessary action:-

1. District Elementary Education Officer, Narnaul w.r.t. his No. **A-2/2018/3544-45** dated **06.02.2018**. **The original chronic disease certificate is returned herewith.** It is hereby directed to get the new medical certificate prior to the expiry date of the present one and submit the case thereafter to continue the option.
2. The Accountant General (A&E) Haryana, Chandigarh.
3. Principal, GSSS Kanwi (Mahendergarh).
4. Sh. Kishan Chand Sachdeva, Retd. SS Master, GSSS Kanwi (Mahendergarh).
- ✓ 5. IT Officer (HQ).


Superintendent HRM-I
For Director Elementary Education
Haryana, Panchkula

*



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate Elementary Education

मौलिक शिक्षा निदेशालय

e-mail: eduprimaryhry@gmail.com

शिक्षा, संस्कृति एवं विकास
Education, Culture and Developmentतमसो मा ज्योतिर्गमय
From Darkness lead me to Lightकार्यालय: निदेशक मौलिक शिक्षा, हरियाणा, पंचकूला
(ज्ञापन)

आदेश क्रमांक 14/88-2017 HRM-II (5) Dated Panchkula the, 6/11/18

- 1 इनके द्वारा **Sh. Harender Singh [087260], DPE, GSSS Bhambewa now GSSS Birdhana Distt. Jhajjar** को सूचित किया जाता है कि संलग्न विवरण में दिये गये आधारों पर हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 2016, के नियम-7 के अन्तर्गत उनके विरुद्ध कार्यवाही करना प्रस्तावित किया गया है। ये आरोप उससे अनुबद्ध अभिकथनों के विवरण पर आधारित है।
- 2 इसके द्वारा **Sh. Harender Singh**, से उनके द्वारा इस ज्ञापन की प्राप्ति की तिथि से 45 दिन की अवधि के भीतर लिखित रूप में बताने की अपेक्षा की जाती है। कि वे सभी आरोपों या उनमें से किसी को स्वीकार करते हैं या नहीं। उन्होंने क्या स्पष्टीकरण या प्रतिवेदन, यदि कोई हो, प्रस्तुत करना हैं और क्या वे व्यक्तिगत रूप में अपनी सुनवाई चाहते हैं।
- 3 इसके द्वारा **Sh. Harender Singh**, को आगे सूचित किया जाता है कि वे अपने लिखित कथन को तैयार करने के प्रयोजन के लिये सुसंगत सरकारी अभिलेखों को देखना चाहता है तो उन्हें आयुक्त एवं महानिदेशक विद्यालय शिक्षा हरियाणा चण्डीगढ़ के कार्यालय में उनके साथ पहले समय नियत करने के बाद, किसी कार्य दिवस को, उनका निरीक्षण करना चाहिए। फिर भी यह बताया जाता है कि उन्हें केवल ऐसे ही दस्तावेज दिखाये जायेंगे, जोकि आयुक्त एवं महानिदेशक विद्यालय शिक्षा हरियाणा चण्डीगढ़ के पास है और जो मामलों के साथ पूरी तरह से सुसंगत है। यदि सरकार की राय में उन्हें किन्हीं दस्तावेजों को दिखाने की अनुमति देना लोकहित में वांछनीय नहीं है। तो उन्हें वह दस्तावेज दिखाने के लिए इन्कार कर दिया जायेगा। यदि **Sh. Harender Singh**, ऐसे किसी अन्य सुसंगत अभिलेख को देखना चाहते हैं जो आयुक्त एवं महानिदेशक विद्यालय शिक्षा हरियाणा चण्डीगढ़ की अभिरक्षा में नहीं है तो उनका निरीक्षण करने की जिम्मेदारी उनकी अपनी है। फिर भी **Sh. Harender Singh**, को यह बात स्पष्ट की जाती है कि उनके द्वारा उक्त दस्तावेजों की निरीक्षण न किया जा सकना उनके लिखित कथन को भेजने में देरी के लिए वैध आधार नहीं माना जायेगा और यदि लिखित कथन निम्नहस्ताक्षरकर्ता को निर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त नहीं होता तो यह समझा जायेगा। कि उन्हें कुछ भी प्रस्तुत नहीं करना है।
- 4 लिखित कथन सीधे निम्नहस्ताक्षरी को प्रस्तुत करना चाहिएं।
- 5 संलग्न पत्रों सहित इस ज्ञापन की पावती भेजें।

(विरेंद्र लाठर)

अतिरिक्त निदेशक प्रशासन
का0 निदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा,
पंचकूला।Regd. **Sh. Harender Singh, DPE,
GSSS Bhambewa now GSSS Birdhana
Distt. Jhajjar**

पृष्ठांकन क्रमांक सम -

दिनांक, पंचकूला 6/11/18

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है :-

1. महानिदेशक राज्य चौकसी ब्यूरो, प्लॉट न0 1, सैक्टर-23, पंचकूला, हरियाणा।
2. जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी झज्जर।
3. प्रधानाचार्य, रा0व0मा0वि0 बिरधाना जिला झज्जर।
4. आई0टी0 सैल।

Sh. Anoop Singh
अधीक्षक एच0आर0एम0-II
कृते0 निदेशक मौलिक शिक्षा, हरियाणा,
पंचकूला।


अभियोग सूची विरुद्ध - श्री हरेन्द्र सिंह, डी0पी0ई0, रा0व0मा0वि0 भम्भेवा, अब रा0व0मा0वि0 बिरधाना जिला झज्जर।

श्री हरेन्द्र सिंह, डी0पी0ई0, रा0व0मा0वि0 भम्भेवा, अब रा0व0मा0वि0 बिरधाना जिला

झज्जर ने डी0पी0ई0 के पद पर कार्य करते हुए निम्न अनियमितारं की :-

1. श्री राकेश सत्यप्रिय प्राध्यापक, हिन्दी रा0व0मा0वि0 लाढौत में नियुक्ति समय पत्र दिनांक 31.08.2013 में वर्ष 2012-13 में हुई राज्य स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता में रा0व0मा0वि0 भम्भेवा की फर्जी टीम बारे शिकायत दी। जिसमें उसने लिखा कि रा0व0मा0वि0 भम्भेवा में कार्यरत डी0पी0ई0 श्री हरेन्द्र सिंह व श्री दर्शन कुमार पी0टी0आई0 सितम्बर 2012 में राज्य स्तरीय स्कूल हाकी प्रतियोगिता के लिए जो टीम लेकर सोनीपत गये थे। उसे में अधिकांश सदस्य फर्जी थे यानि खिलाडी का नाम किसी का और खेलने वाला कोई ओर अर्थात फोटो किसी ऐसे व्यक्ति का जो स्कूल का छात्र नहीं था। जिसकी प्राथमिक जांच राज्य चौकसी ब्यूरो हरियाणा द्वारा करवाई गई। जिन द्वारा दिनांक 11.8.2017 को जांच रिपोर्ट मुख्य सचिव हरियाणा सरकार चौकसी विभाग को प्रस्तुत की। जिसमें सिद्ध पाया गया कि दिनांक 27.07.2012 से 29.07.2012 तक राज्य स्तरीय स्कूल खेल हाकी प्रतियोगिता बहादुरगढ जिला झज्जर में सम्पन्न हुई थी, जिसमें बेरी ब्लाक की तरफ से रा0व0मा0वि0 भम्भेवा की हॉकी टीम U-19 के जो खिलाडी खेलने गये थे उनमें से राज्य स्तरीय टीम में खिलाडियो का चयन न करते हुये उपरोक्त स्कूल में से ही अन्य 3 खिलाडियो आशीष पुत्र दीदार सिंह, विकास पुत्र थान सिंह व रवि पुत्र अत्तर सिंह का चयन करके सोनीपत में होने वाली राज्य स्तरीय स्कूल खेल हाकी प्रतियोगिता वर्ष 2012-13 के लिए भेजा गया। जिनका चयन रा0व0मा0वि0 भम्भेवा में नियुक्त श्री हरेन्द्र सिंह डी0पी0ई0 व श्री दर्शन सिंह पी0टी0आई0 द्वारा किया गया। राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता सोनीपत में जिला झज्जर में हुई जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाडियो में से ही चयन करे भेजा जाना चाहिए था। श्री हरेन्द्र सिंह, डी0पी0ई0 व श्री दर्शन सिंह पी0टी0आई0 द्वारा आशीष पुत्र दीदार सिंह, विकास पुत्र थान सिंह व रवि पुत्र अत्तर सिंह का चयन राज्य स्तरीय टीम में नियमों के विरुद्ध किया जाना पाया गया है।

श्री हरेन्द्र सिंह, डी0पी0ई0 द्वारा उपरोक्त की गई अनियमितता करके उसने हरियाणा कर्मचारी आचरण नियमावली-2016 के नियम 4 (1) (i) (ii) (iii) व 4 (2) (i) की अवहेलना की है तथा स्वयं को सख्त अनुशासनात्मक कार्यवाही का पात्र बनाया है।


(विरेन्द्र लाठर)


अतिरिक्त निदेशक प्रशासन
मौलिक शिक्षा हरियाणा,
पंचकूला।

आरोप सूची विरुद्ध — श्री हरेन्द्र सिंह, डी०पी०ई०, रा०व०मा०वि० भम्भेवा, अब रा०व०मा०वि० बिरघाना जिला झज्जर।

श्री हरेन्द्र सिंह, डी०पी०ई०, रा०व०मा०वि० भम्भेवा, अब रा०व०मा०वि० बिरघाना जिला झज्जर ने डी०पी०ई० के पद पर कार्य करते हुए जो अनियमितताएं की उनके लिए उन्हें निम्न प्रकार से आरोपित किया जाता है :-

1. यह कि श्री राकेश सत्यप्रिय प्राध्यापक, हिन्दी रा०व०मा०वि० लाढौत में नियुक्त समय पत्र दिनांक 31.08.2013 में वर्ष 2012-13 में हुई राज्य स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता में रा०व०मा०वि० भम्भेवा की फर्जी टीम बारे शिकायत दी। जिसमें उसने लिखा कि रा०व०मा०वि० भम्भेवा में कार्यरत डी०पी०ई० श्री हरेन्द्र सिंह व श्री दर्शन कुमार पी०टी०आई० सितम्बर 2012 में राज्य स्तरीय स्कूल हाकी प्रतियोगिता के लिए जो टीम लेकर सोनीपत गये थे। उसे में अधिकांश सदस्य फर्जी थे यानि खिलाडी का नाम किसी का और खेलने वाला कोई ओर अर्थात फोटो किसी ऐसे व्यक्ति का जो स्कूल का छात्र नहीं था। जिसकी प्राथमिक जांच राज्य चौकसी ब्यूरो हरियाणा द्वारा करवाई गई। जिन द्वारा दिनांक 11.8.2017 को जांच रिपोर्ट मुख्य सचिव हरियाणा सरकार चौकसी विभाग को प्रस्तुत की। जिसमें सिद्ध पाया गया कि दिनांक 27.07.2012 से 29.07.2012 तक राज्य स्तरीय स्कूल खेल हाकी प्रतियोगिता बहादुरगढ जिला झज्जर मे सम्पन्न हुई थी, जिसमें बेरी ब्लाक की तरफ से रा०व०मा०वि० भम्भेवा की हॉकी टीम U-19 के जो खिलाडी खेलने गये थे उनमें से राज्य स्तरीय टीम मे खिलाडियो का चयन न करते हुये उपरोक्त स्कूल मे से ही अन्य 3 खिलाडियो आशीष पुत्र दीदार सिंह, विकास पुत्र थान सिंह व रवि पुत्र अत्तर सिंह का चयन करके सोनीपत मे होने वाली राज्य स्तरीय स्कूल खेल हाकी प्रतियोगिता वर्ष 2012-13 के लिए भेजा गया। जिनका चयन रा०व०मा०वि० भम्भेवा में नियुक्त श्री हरेन्द्र सिंह, डी०पी०ई० व श्री दर्शन सिंह पी०टी०आई० द्वारा किया गया। राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता सोनीपत में जिला झज्जर में हुई जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाडियों में से ही चयन करे भेजा जाना चाहिए था। श्री हरेन्द्र सिंह, डी०पी०ई० व श्री दर्शन सिंह पी०टी०आई० द्वारा आशीष पुत्र दीदार सिंह, विकास पुत्र थान सिंह व रवि पुत्र अत्तर सिंह का चयन राज्य स्तरीय टीम में नियमों के विरुद्ध किया जाना पाया गया है।

श्री हरेन्द्र सिंह, डी०पी०ई० द्वारा उपरोक्त की गई अनियमितता करके उसने हरियाणा कर्मचारी आचरण नियमावली-2016 के नियम 4 (1) (i) (ii) (iii) व 4 (2) (i) की अवहेलना की है तथा स्वयं को सख्त अनुशासनात्मक कार्यवाही का पात्र बनाया है।



(विरेन्द्र लाठर)
अतिरिक्त निदेशक प्रशासन
मौलिक शिक्षा हरियाणा,
पंचकूला।


रिकार्ड की सूची— श्री हरेन्द्र सिंह, डी०पी०ई०, रा०व०मा०वि० भम्भेवा, अब रा०व०मा०वि० बिरधाना जिला झज्जर।

1. शिकायत की प्रति।
2. राज्य चौकसी ब्यूरो से प्राप्त जांच पत्र क्रमांक 12249/I-I/SVB (H) dated Panchkula the 03.10.2017 की प्रति (दस्तावेजों सहित)।

गवाहों की सूची—

1. श्री राकेश सत्यप्रिय, प्राध्यापक हिन्दी (शिकायतकर्ता) मकान नं० 789 वार्ड न० 5 कैलाश कालोनी रोहतक।
2. वजीर सिंह दहिया (भू०पू० प्रधानाचार्य रा०व०मा०वि० भम्भेवा) पुत्र रघुनाथ सिंह मकान नं० 119 देव कालोनी रोहतक।
3. सुरजीत सिंह (पूर्व ए०ई०ओ० अब डी०पी०ई०) गाँव बामनौली थाना लाईन पार बहादूरगढ जिला झज्जर। मो० नं० 94162-83783
4. डी०पी०ई० रा०व०मा०वि० भम्भेवा जिला झज्जर।
5. आशीष कुमार सुपुत्र श्री दीदार सिंह गाँव भम्भेवा(झज्जर)।
6. विकास सुपुत्र श्री थान सिंह गाँव झिमली (रोहतक)।
7. रवि सुपुत्र श्री अतर सिंह गाँव भम्भेवा (झज्जर)




(विरेंद्र लाठर)
अतिरिक्त निदेशक प्रशासन
मौलिक शिक्षा हरियाणा,
पंचकूला।

OFFICE OF THE DIRECTOR ELEMENTARY EDUCATION HARYANA PANCHKULA

Order No. 3/55-2018 HRM-1(3)

Dated, Panchkula, the 04.04.2018

Smt. Rimple Rani (083227), S.S. Mistress, GHS Palwal (2332) Distt. Kurukshetra is hereby granted the leave on following conditions:-

Sr. No.	Name of Leave	From	Rule applicable
1	Child Care Leave	01.04.2018 to 30.05.2018	C.S. Instruction No. 11/102/2009-3FR dated 01.02.2016/05.07.2012/05.11.2012

1. That the official would have continued to officiate in class-III during her proceeding on leave with permission to Affix / Suffix holidays.
2. That she would draw the usual HRA and other allowances during the period of leave and she is likely to return to the post to which these allowances are attached.
3. That the officer/official would have continued to officiate in Class-III but she proceeds on leave during above period.

VIRENDER LATHER
ADDITIONAL DIRECTOR ADMINISTRATION
O/O DIRECTOR ELEMENTARY EDUCATION
HARYANA, PANCHKULA.


Endst. No. Even:

Dated, Panchkula, the 6-4-18

A copy is forwarded to the following for information and necessary action:-

Regd:

1. Accountant General (A&E) Haryana Chandigarh.
2. District Elementary Education officer, Kurukshetra w.r.t. his Memo No.E-3/ 18/265 dated 02.04.2018.
3. Principal/Headmaster, GHS Palwal (2332) Distt. Kurukshetra.
4. Smt. Rimple Rani (083227), S.S. Mistress, GHS Palwal (2332) Distt. Kurukshetra.
5. I.T Cell.


SUPERINTENDENT HRM-1
FOR DIRECTOR ELEMENTARY EDUCATION
HARYANA, PANCHKULA

OFFICE OF THE DIRECTOR ELEMENTARY EDUCATION HARYANA PANCHKULA

Order No. 3/44-2018 HRM-1(3)

Dated, Panchkula, the 02.04.2018

Smt. Pushpa, ESHM, GMS Jandli (127) Distt. Ambala is hereby granted the leave on following conditions:-

Sr. No.	Name of Leave	From	Rule applicable
1	Child Care Leave	03.04.2018 to 30.05.2018	C.S. Instruction No. 11/102/2009-3FR dated 01.02.2016/05.07.2012/05.11.2012

1. That the official would have continued to officiate in class-III during her proceeding on leave with permission to Affix / Suffix holidays.
2. That she would draw the usual HRA and other allowances during the period of leave and she is likely to return to the post to which these allowances are attached.
3. That the officer/official would have continued to officiate in Class-III but she proceeds on leave during above period.

VIRENDER LATHER
ADDITIONAL DIRECTOR ADMINISTRATION
O/O DIRECTOR ELEMENTARY EDUCATION
HARYANA, PANCHKULA.


Endst. No. Even:

Dated, Panchkula, the 02/4/18

A copy is forwarded to the following for information and necessary action:-

Regd:

1. Accountant General (A&E) Haryana Chandigarh.
2. District Elementary Education officer, Ambala w.r.t. his Memo No.E-1/ 18/4674 dated 14.03.2018.
3. BEO Ambala-II Distt. Ambala.
4. Smt. Pushpa, ESHM, GMS Jandli (127) Distt. Ambala
5. I.T Cell.


SUPERINTENDENT HRM-1
FOR DIRECTOR ELEMENTARY EDUCATION
HARYANA, PANCHKULA

**OFFICE OF THE DIRECTOR ELEMENTARY EDUCATION HARYANA
PANCHKULA**

Order No. 3/56-2018 HRM-1(4)

Dated, Panchkula, 06.04.2018

Smt. Tushar Prabha, ESHM, GMS Trilokpur, Panchkula is granted, the leave on the following conditions:-

Sr. No.	Nature /Name of Leave	From	Rule applicable
1	Child Care Leave	09.04.2018 to 30.05.2018	C.S. Instruction No. 11/102/2009 - 3FR dated 01-02-2016/05-07-2012/ 05-11-2012

1. That the official would have continued to officiate in class-III during her proceeding on leave with permission to Affix/Suffix holidays.
2. That she would draw the usual HRA and other allowances during the period of leave and she is likely to return to the post to which these allowances are attached.
3. That the officer/official would have continued to officiate in Class-III but she proceeds on leave during above period.

**VIRENDER LATHER, HCS
ADDITIONAL DIRECTOR ADMINISTRATION
O/o DIRECTOR ELEMENTARY EDUCATION
HARYANA, PANCHKULA**


Endst. No. Even:

Dated, Panchkula, the 6-04-18

A copy is forwarded to the following for information and necessary action:-

Regd:

1. Accountant General (A&E) Haryana Chandigarh.
2. District Elementary Education officer, Panchkula.
3. Head Master, Govt. Middle School Trilokpur, Panchkula.
4. Smt. Tushar Prabha, ESHM, GMS Trilokpur, Panchkula.
5. I.T CELL.


**SUPERINTENDENT HRM-1
FOR DIRECTOR ELEMENTARY EDUCATION
HARYANA, PANCHKULA**